बी.ए.पी.एस.स्वामिनारायण संस्था

प्रेरक : परम पूज्य महंतस्वामी महाराज

युवा अधिवेशन 2019

नियमावली

(अधिवेशन की रुपरेखा तथा नियम)

सत्संग प्रवृत्ति मध्यस्थ कार्यालय

महान वैज्ञानिक आइंस्टाईन से किसी ने पूछा, 'किसी भी कार्य में सफल होना हो तो क्या करें ?'

आइंस्टाईन ने सफलता के सात स्टेप बताये।

(1) ध्येय

(2) श्रद्धा

(3) आयोजन

(4) पुरुषार्थ

(5) पुरुषार्थ

(6) पुरुषार्थ

(7) पुरुषार्थ

युवा/युवती अधिवेशन में सफल स्पर्धक होना हैं ? तो ध्येय तय करो, ध्येय में श्रद्धा रखो, आयोजन करो और उसके बाद उस पर पुरुषार्थ करो, लेकिन याद रहे, महाराज–स्वामी और गुरुहरि प्रमुखस्वामी महाराज और महंतस्वामी को मत भूलियेगा... और सतत प्रार्थना करो तो उस सफलता के शिखरों पर अवश्य पहुँच जाओगे।

युवा अधिवेशन – 2019

अधिवेशन की रुपरेखा और नियम

- हेतु :
  1. युवको/युवतीयों में सत्संग की विशेष दृढ़ता हो।
  2. युवकों/युवतियों की सुषुप्त शक्ति का भगवान के मार्ग में उपयोग हो, जागृत हो और उनके व्यक्तित्व का विकास हो।
  3. युवक/युवतियाँ वचनामृत का अभ्यास करें।
- अधिवेशन में कौन भाग ले सकता है :
  1. 14 से 27 वर्ष के अथवा 9 वीं कक्षा से पोस्ट ग्रैजुएट तक के युवक/युवतियाँ भाग ले सकते हैं।
  2. रजिस्टर्ड तथा पीआर युवक मंडल के युवक–युवतियों तथा संयुक्त मंडल में जाते युवक/युवतियाँ भाग ले सकते है। जहाँ युवक मंडल नहीं चल रहा है वहाँ के सत्संगी युवक/युवतियाँ नजदीक के युवक मंडल में से भाग ले सकते है।
  3. छात्रालय के युवक छात्रावास में से भाग ले सकते हैं।
- **पात्रता :**

  अधिवेशन में भाग लेने वाले युवक/युवतियों में यह पात्रता होनी चाहिए।
  1. पूजा : तिलक–टिका सहित नित्यपूजा।
  2. सभा : युवक/युवतियाँ सत्संग मंडल की सभा में नियमित जाते हो।
  3. निर्व्यसन : तंबाकू–बीड़ी आदि व्यसन रहित होने चाहिए।
  4. नीचे दिए गए प्राथमिक मुखपाठ किया होना चाहिए।
     (i) आरती : जय स्वामिनारायण....
     (ii) अष्टक : 'कृपा करो मुझ पर हरि... वंदू संत महंतस्वामी...'
- प्राथमिक मुखपाठ : मौखिक रुप से मात्र अंतरक्षेत्रीय अधिवेशन स्तर मैं ही लिया जाएगा। अखिल भारतीय अधिवेशन में नहीं लिया जाएगा।
- जिस स्पर्धक का 70 प्रतिशत प्राथमिक मुखपाठ सही होगा, वही पुरस्कार के योग्य बनेगा।
- अखिल भारतीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए अंतर क्षेत्रीय अधिवेशन में 50 प्रतिशत मुखपाठ सही होना चाहिए।
- किसी भी स्पर्धा में विजेता होने के लि कम से कम 3 वचनामृत का मुखपाठ होना चाहिए तथा प्रश्नोत्तरी में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त किए होने चाहिए।

● विभाग : हर क्षेत्र 3 विभाग में विभाजित होगा।

(1) ग्रामीण विभाग (2) शहरी विभाग (3) छात्रावास विभाग।

– हर एक विभाग के दो ग्रुप होंगे।

(1) नीलकंठ ग्रुप : 14 से 18 वर्ष अथवा 9 वीं कक्षा से 12 वीं कक्षा के युवक/युवतियाँ नीलकंठ ग्रुप में रहेंगे।

(2) सहजानंद ग्रुप : 19 से 27 वर्ष के युवक/युवतियाँ सहजानंद ग्रुप में भाग लेंगे अथवा 12 वीं कक्षा से लेकर पोस्टग्रेजुएट तक और उम्र 27 वर्ष के युवक/युवतियाँ।

– इसप्रकार कुल 6 विभागों में स्पर्धा होंगी।

(1) ग्रामीण विभाग : नीलकंठ ग्रुप (2) ग्रामीण विभाग : सहजानंद ग्रुप

(3) शहरी विभाग : नीलकंठ ग्रुप (4) शहरी विभाग : सहजानंद ग्रुप

(5) छात्रावास विभाग : नीलकंठ ग्रुप (6) छात्रावास विभाग : सहजानंद ग्रुप

● कितने स्तर पर अधिवेशन होगा : दो स्तर पर अधिवेशन होगा।

(1) प्रथम स्तर में आंतर क्षेत्रीय युवा अधिवेशन होगा। सूचित तारीख : 16 से 20 मई 2019

(2) द्वितीय स्तर में अखिल भारतीय युवा अधिवेशन होगा। सूचित तारीख 1 से 4 जून 2019

– सूचना : (1) युनिवर्सिटीओं की परीक्षा की तारीख के अनुकूल अधिवेशन की तारीख फाईनल की है। (2) संभव होगा तो क्षेत्रीय स्तर पर भी अधिवेशन का आयोजन होगा।

● विविध स्पर्धाएँ ●

– **अनिवार्य स्पर्धा :**

(1) वचनामृत मुखपाठ (2) वचनामृत लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तरी

– **ऐच्छिक स्पर्धा :**

(3) प्रवचन अथवा निरुपण स्पर्धा : स्पर्धक दो में से एक स्पर्धा में भाग ले सकता है।

(4) निबंध स्पर्धा

(5) पोस्टर स्पर्धा : (अखिल भारतीय स्तर पर)

(6) वीडियो शो अथवा शोर्ट फिल्ट मेकिंग स्पर्धा : (अखिल भारतीय स्तर पर)
(दो में से एक स्पर्धा में भाग ले सकते है।)

(7) संवाद स्पर्धा

● स्पर्धाओं की रुपरेखा तथा नियम ●

1. वचनामृत मुखपाठ स्पर्धा

- समग्र वचनामृत में से सिद्धांत और साधनलक्षी मुख्य वचन युवाओं के जीवन में दृढ़ हो सके इस हेतु मुखपाठ के लिए वचनामृत में से महत्व की पक्तियाँ पसंद की गई है। उसकी 'अमृत संचय' पुस्तिका तैयार की गई है। पुस्तिका में एक वचनामृत के शीर्षक के साथ उस वचनामृत में से महत्त्व की सभी पंक्तियाँ पसंद की गई है, जो एक वचनामृत माना जायेगा।
- पुस्तिका में 3 विभाग में मुखपाठ के लिए वचनामृत दिए गए हैं। **सर्वप्रथम विभाग-A का मुखपाठ करें। उसमें भी पुस्तिका में दिए गए वचनामृत के अनुक्रम के अनुसार मुखपाठ करें। विभाग- A का संपूर्ण मुखपाठ हो जाए तो उसके बाद विभाग - B और उसके बाद विभाग- C का मुखपाठ करें।**
- तीन विभाग से अधिक मुखपाठ के लिए वचनामृत मध्यस्थ कार्यालय द्वारा baps.box.com/va19mukhp लिंक में से प्राप्त कर सकते है। उसमें दिए गए क्रम के अनुसार ही मुखपाठ करें।
- **अनुक्रमांक मुखपाठ** में से कम से कम 15 वचनामृत का मुखपाठ सही होगा तो तृतीय श्रेणी का ईनाम मिलेगा। कम से कम 30 वचनामृत का मुखपाठ सही होगा तो द्वितीय श्रेणी का ईनाम मिलेगा और कम से कम 45 वचनामृत का मुखपाठ सही होगा तो प्रथम श्रेणी का ईनाम मिलेगा। 60 से अधिक वचनामृत सही होंगे तो विशिष्ट योग्यता का ईनाम मिलेगा।
- स्पर्धा के दरमियान मुखपाठ किए गए सभी वचनामृत का मुखपाठ ले सके ऐसी समय की अनुकूलता नहीं हो सकती है उसके लिए मुखपाठ किए गए वचनामृत में से **प्रति तीन वचनामृत में से एक वचनामृत** पूछा जायेगा। जिसने **अधिक मुखपाठ** किया होगा उसका मुखपाठ लेते समय निर्णायक की इच्छा से प्रति पांच वचनामृत में से एक वचनामृत पूछा जा सकता है।
- मुखपाठ सही है या गलत है उसका अधिकार निर्णायक या व्यवस्थापक समिति का रहेगा। उस पर वाद-विवाद को अवकाश नहीं है।

2. वचनामृत लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तरी

● वचनामृत लिखित प्रश्नोत्तरी

- प्रश्नोत्तरी के लिए 'अमृतबिंदु' पुस्तिका तैयार करी गई है।
- स्पर्धा में एक प्रश्नपत्र रहेंगा।
- इस प्रश्नपत्र में अमृत बिंदु पुस्तिका में से प्रश्न पूछा जाएगा।
- प्रश्नपत्र के लिए प्रश्न के प्रकार नीचे दिए गए हैं।
  (1) रिक्त स्थान की पूर्ति करें। (2) सही और गलत बतायें
  (3) सही विकल्प चुनें।

● वचनामृत मौखिक प्रश्नोत्तरी (समस्या और समाधान)

(1) पारिवारिक तथा व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का जिसमें से समाधान मिलता हो ऐसे वचनामृत लगभग 15 से 20 अवतरण स्पर्धक को दिये जायेंगे।

(2) स्पर्धा के समय स्पर्धक को उन अवतरणों को अपने साथ रखना है।

(3) स्पर्धा के समय 3 पारिवारिक या व्यवहारिक समस्या लिखित दी जायेगी।

(4) स्पर्धक को पूछी गई समस्याओं का समाधान किस वचनामृत के अवतरण में से किस प्रकार मिल सकता है, यह संक्षिप्त में समझाना होगा।

(5) 10 में से अंक मिलेंगे। अवतरण सही होगा तो 5 अंक मिलेंगे और निरुपण जितना सही होगा उस प्रकार 5 अंक में से मिलेंगे।

(6) प्रश्नोत्तरी का समय 5:00 मिनट का रहेगा।

4. प्रवचन स्पर्धा अथवा निरुपण स्पर्धा

यह स्पर्धा एच्छिक है। प्रवचन स्पर्धा और निरुपण स्पर्धा में से कोई एक स्पर्धा में भाग ले सकते है।

(4.1) प्रवचन स्पर्धा : इस स्पर्धा में दिए गए विषयों पर वचनामृत के उपदेश के अनुरुप प्रवचन करना होगा।

● **प्रवचन के विषय :**

(1) युवाओं का पथदर्शक वचनामृत

(2) वर्तमान सामाजिक समस्याओं का समाधान–वचनामृत

(3) वचनामृत में भगवान स्वामिनारायण की **यथार्थ** पहचान

(4) साधना में गुणातीत सत्पुरुष की अनिवार्यता

– दिए गए विषयों में से कोई एक विषय पर 7 मिनट का प्रवचन तैयार कर के स्पर्धा में प्रस्तुत करें। प्रवचन की तैयारी स्पर्धको को स्वयं करनी है। दूसरे से मात्र मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

– प्रवचन के दरमियान मुद्दे साथ रख सकते हैं। किसी को भी प्रवचन रटना नहीं है। मुद्दों के आधार पर प्रवचन करना है। प्रवचन रटा हुआ है – यदि ऐसा मालूम पड़ा तो स्पर्धक को प्रवचन की स्पर्धा में से निकाल दिया जाएगा। कागज में केवल मुद्दे लिखे होने चाहिए। पूरा प्रवचन देख देखकर बोलना नहीं है।

– 6 मिनट में प्रथम घंटी बजेगी। 7 मिनट में प्रवचन पूरा करना होगा। प्रवचन खड़े रहकर करना है।

– प्रवचन से पहले श्री स्वामिनारायण भगवान की जय, अक्षरपुरुषोत्तम महाराज की जय, प्रमुखस्वामी महाराज की जय और महंतस्वामी महाराज की जय – यह चार जय से शुरुआत करनी है। जय बोलने का समय प्रवचन के समय में नहीं माना जायेगा।

● **गुणप्रदान पद्धति :**

1) विषय की स्पष्टता – 20
2) विषय वैविध्य – 20
3) प्रस्तुति शैली – 20
4) भाषा वैभव – 10
5) क्रम प्रवाह – 10
6) आरंभ–अंत – 05

7) समय मर्यादा – 05

8) समग्र असर – 10

कुल अंक – 100

(4.2) निरुपण स्पर्धा : इस स्पर्धा में संप्रदायिक रीत के अनुरुप वचनामृत के विधानों का पठन करके उसके बाद उन विधानों पर निरुपण करना है।

● **निरुपण के लिए वचनामृत के वचन :**

(1) वचनामृत : ग.प्र.-16 : 'भगवान के जिस भक्त में सत-असत का विवेक हो, वह अपने में विद्यमान दोषों को जान लेता है और विचार करके उन अवगुणों का परित्याग करता है। यदि संत में अथवा किसी सत्संगी में स्वयं को कोई दोष होने का आभास हो, तो वह उसका त्याग कर देता है और केवल उसके गुण को ही ग्रहण करता है।'

(2) वचनामृत : ग.प्र.-18 : 'पंच ईन्द्रियों द्वारा जीव जो आहार करता है, वह यदि शुद्ध आहार करेगा तो अंत:करण शुद्ध होगा और अंत:करण शुद्ध होने से निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहेगी। यदि पंचेन्द्रियों के आहार में एक भी इन्द्रिय का आहार मलिन रहा, तो अंत:करण भी मलिन हो जाता है।'

(3) वचनामृत : ग.प्र.-54 : 'स्वधर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा माहात्म्य-ज्ञान सहित भगवद्भक्ति करने वाले भगवान के एकांतिक साधु के प्रसंग से भागवतधर्म का पोषण होता है तथा ऐसे साधु के प्रसंग से ही जीवों के लिए मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है।'

(4) वचनामृत : ग.प्र. - 71 : 'भगवान के भक्तों को चाहिए कि, वे भगवान का स्वरुप अक्षरधाम सहित पृथ्वी पर विराजमान है ऐसा समझें और दूसरों के समक्ष भी ऐसी ही वार्ता करें।'

(5) वचनामृत : लोया-3 : 'जिसे भगवान एवं संत का माहात्म्य-ज्ञान सहित निश्चय हो गया हो, वह भगवान तथा संत के लिए क्या नहीं कर सकता? उनके लिए वह कुटुंब का त्याग करे, लोकलज्जा का त्याग करे, सुख का त्याग करे, धन का त्याग करे, स्त्री का त्याग करें, और स्त्री हो तो वह पुरुष का त्याग करें।'

(6) वचनामृत : ग.म. - 25 : 'जैसे उकाखाचर को संत की सेवा करने का व्यसन पड़ चुका है, वैसा ही भगवान तथा भगवान के संत की सेवा करने का जिसे व्यसन हो जाए और उसके बिना एक क्षण भी न रहा जाए, तो उसके अंत:करण की मलिन वासना पूर्णत: नष्ट हो जाती है।'

★ उपरोक्त 6 वचनामृत के विधानों में से कोई भी एक का 7 मिनट तक निरुपण तैयार करके स्पर्धा में प्रस्तुत करना है।

★ स्पर्धा की शुरुआत प्रवचन स्पर्धा के जैसे चार जय बोलकर करनी है।

★ इसके बाद 'स्वामिनारायण हरे...' कहकर वचनामृत नंबर तथा शीर्षक बोलना है। इसके बाद 'स्वामिनारायण हरे..' कहकर वचनामृत के विधानों का पठन करना है।

★ तिथि-वर्ष और मूर्ति के वर्णन का स्पर्धा के समय पठन ना करें।

★ इसके बाद निरुपण की शुरुआत करें। निरुपण की शुरुआत करेंगे, तब से समय की निगती शुरु की जायेगी।

★ निरुपण की समय मर्यादा 7 मिनट की रहेगी। निरुपण के दौरान 6 मिनट में प्रथम घंटी बजेगी और सातवीं मिनट में निरुपण पूरा करना है।

★ निरुपण के समय मुद्दे साथ में रख सकते हैं। निरुपण को रटना नहीं है, मुद्दों के आधार पर निरुपण करना है। कागज में से मात्र मुद्दों को देखकर ही निरुपण करना है। यदि कागज में से ही देखकर पूरा निरुपण किया तो स्पर्धक को स्पर्धा में से बाहर कर दिया जाएगा।

● **अंकप्रदान पद्धति :**

1) पठन की शैली	– 10
2) विषय की स्पष्टता	– 30
3) विषय वैविध्य	– 20
4) प्रस्तुति शैली	– 20
5) समापन	– 05
6) समय मर्यादा	– 05
7) समग्र असर	– 10
कुल अंक	**– 100**

● प्रवचन तथा निरुपण स्पर्धा की अंक प्रदान पद्धति :

(1) विषय की स्पष्टता : जिस विषय की प्रस्तुति करनी है, उसकी कितनी स्पष्टता है ? प्रवचन का विषय-वस्तु कितना स्पष्ट है ? क्या कहना चाहते है ? विषय-वस्तु प्रवचन के विषय अनुरुप है या नहीं ? इन प्रश्नों से विषय की स्पष्टता तय होती है। अर्थात् जो विषय-वस्तु पसंद किया है और जिस प्रकार बोला जाता है, वह कितनी हद तक प्रवचन के विषय के अनुरुप है ? और सुननेवाला समझ सके उस

प्रकार प्रस्तुत हुआ है की नहीं ? उसे विषय की स्पष्टता कहते हैं।

(2) **विषय वैविध्य :** इसमें दो बातें हैं। पहली बात विषय-वस्तु का वैविध्य अर्थात् प्रसंग, दृष्टांत, तर्क, कोटेशन, अन्य भाषाओं का उपयोग, शास्त्र प्रमाण, काव्य, साखी, श्लोक, सुविचार, मनन आदि जैसे विविधतासभर तथ्यों का स-प्रमाण समावेश वैविध्य में माना जाएगा। दूसरी बात विषय की प्रस्तुति का वैविध्य मतलब कि, प्रत्येक विषय की प्रस्तुति में कैसा वैविध्य है।

(3) **प्रस्तुति शैली :** हाव-भाव, बोलने का प्रभाव, सातत्य, आरोह-अवरोह, आँखों का संपर्क आदि।

(4) **भाषा वैभव : (मात्र प्रवचन स्पर्धा के लिए)** भाषा की सरलता, साहजीकता के साथ-साथ भाषाकिय शृगांरो से भाषा वैभव बनता है। योग्य शब्दों, वाक्य रचना, उपमाओं, रुपक, प्रास का मेल, स्पष्ट और सचोट वाक्य आदि बातों का समावेश भाषा वैभव में है। भाषा वैभव का हेतु यह है कि, जिस बात को प्रस्तुत करना है वह सरलता से और स्पष्ट रुप से समझ में आ सके और असरकारक और प्रभावक लगे।

(5) **क्रमप्रवाह - (मात्र प्रवचन स्पर्धा के लिए) :** प्रवचन का पूरा प्रारुप, मुद्दे तथा विषय-वस्तु का संकलन, एक मुद्दे के बाद दूसरे मुद्दे का संबंध कैसे जोड़ा है ? यह सब क्रम-प्रवाह माना जाता है।

(6) **आरंभ - (अंत निरुपण स्पर्धा में समापन) :** आरंभ और अंत की योग्यता और असरकारकता को ध्यान में रखकर अंक प्रदान किए जाएंगे।

(7) **समय मर्यादा :** दिए गए समय से 20 सेकन्ड से अधिक समय लिया तो समयमर्यादा का एक भी अंक नहीं मिलेगा।

(8) **समग्र असर :** उपरोक्त अंक प्रदान की बातों के उपरांत निर्णायक को प्रवचन तथा प्रस्तुति कैसी लगी उन के आधार पर निर्णायक समग्र असर का अंक प्रदान करेंगे।

(9) **वांचन की शैली - (मात्र निरुपण स्पर्धा के लिए) :** वचनामृत का पठन करने की संप्रदायिक शैली तथा एक विशिष्ट लय है तथा पठन करते समय योग्य स्थान पर विराम लिया है या नहीं इन पर ध्यान दिया जाएगा।

5. निबंध लेखन स्पर्धा

यह स्पर्धा ऐच्छिक है।

(1) स्पर्धा के लिए कुल 8 विषय तैयार किए गए हैं। जिसमें ग्रुप-A में 4 विषय और ग्रुप-B में 4 विषय है। ग्रुप-A में विषयों की तैयारी के लिए 'चलो चलें हम अक्षरधाम' पुस्तक उपयोगी होगी। ग्रुप-B के विषयों की तैयारी के लिए संदर्भ पुस्तक नहीं है। स्पर्धक दो में से किसी भी एक ग्रुप के विषय तैयार कर सकते है।

(2) स्पर्धा के एक घंटे पहले ग्रुप-A का एक विषय और ग्रुप-B का एक विषय दिया जाएगा, उसमें से स्पर्धक को अपने जिस ग्रुप के विषयों को तैयार किया है उस ग्रुप के एक विषय पर निबंध लिखना है।

(3) विषय दिए जाने के बाद एक घंटा पूर्व तैयारी के लिए दिया जाएगा। जिसमें संदर्भ पुस्तकों, वचनामृत तथा स्वयं लिखे हुए नोट अपने पास रख सकते हैं। इस समय हर एक स्पर्धा को A4 साईज का एक कागज दिया जाएगा उसमें निबंध के मात्र मुद्दे ही लिखने हैं।

(4) पूर्व तैयारी के एक घंटे बाद निबंध लेखन के लिए एक घंटा दिया जाएगा।

(5) निबंध लेखन के दौरान पूर्व तैयारी के समय स्वयं द्वारा लिखे गये (A4 साईज पेपर) और वचनामृत का ग्रंथ ही साथ में रख कर उसका उपयोग कर सकते हैं।

(6) निबंध लगभग 1000 शब्दों में लिखा होना चाहिए। लगभग 3 से 5 पृष्ठ।

(7) ग्रुप-B के विषय पसंद करके निबंध लिखने वाले को प्राप्त अंक के 5 प्रतिशत अधिक मिलेंगे।

(8) निबंध गुजराती, अंग्रेजी तथा हिन्दी में से कोई भी भाषा में लिख सकते है।

(9) संदर्भ पुस्तक मात्र गुजराती में ही उपलब्ध है।

(10) वचनामृत के अंग्रेजी और हिन्दी के अनुवाद प्राप्त हैं।

- **निबंध के विषय :**
  - **ग्रुप-A संदर्भ पुस्तक :** चलो चलें हम अक्षरधाम
    (1) बुद्धिमान कौन? (वचनामृत पंचाला-1 के आधार पर)
    (2) ध्येय की दृढ़ता और सिद्धि (वचनामृत ग.म.-22 के आधार पर)
    (3) शूरवीर कौन? (वचनामृत ग.म.-22 के आधार पर)
    (4) वचनामृत : ग.अं.-24 में बताये गए सुख प्राप्ति के साधनों के सिद्धि का उपाय : संत समागम।

■ **ग्रुप-B :** वचनामृत के विधानों के आधार पर 4 विषय दिए गए हैं। उन्ही विषयों के अनुरुप मुख्य विधान दिए गए है। इन विधानों में जो बात कही गई है। उनके आधार पर दिए गए विषयों का विवरण, उनके अनुसार सुविचार, अनुभव तथा पुष्टि के लिए अन्य वचनामृत के विधानों आदि निबंध में ले सकते है।

(1) दुःखमुक्ति का उपाय स्वभाव मुक्ति :

विधान : वचनामृत : गढडा अंत्य-38 : 'जिसे द्रव्यादि का लोभ हो, स्त्रियों के बीच बैठने उठने की वासना हो, स्वादिष्ट पदार्थों में जिह्वा की आसक्ति गो, देहभिमान हो, कुसंगी से स्नेह रहा करता हो तथा संबंधियों से स्नेहभाव हो - जीवन में ये छः बाबते बनी रहती हों, उसे जीते जी और मरने के बाद भी कभी सुख मिलता ही नहीं। इसलिए, जिसको सुख की इच्छा हो वह अपने में ऐसे स्वभाव हो, तो उसका त्याग कर दें।'

(2) दैनिक जीवन में सकारात्मक विचार :

विधान : वचनामृत गढडा प्रथम-16 : 'जो सकारात्मक विचार ग्रहण करते हों और नकारात्मक विचारों का त्याग करते हों, तो समझ लें कि उनमें विवेक है।'

(3) संग का असर :

विधान : वचनामृत : गढडा प्रथम-18 : हवेली और झोपड़ी का दृष्टांत और उसका सिद्धांत।

(4) धर्म-नियम का सुरक्षा चक्र :

विधान : वचनामृत : गढडा प्रथम-34 : 'जो जीव परमेश्वर के वचनों का त्याग कर ईधर-उधर घूमते हैं, वह क्लेश पाते हैं। और जो भगवान के वचनों में श्रद्धा रखते हैं, वह वैसे ही आनंद में रहते हैं जैसे भगवान आनंद में रहते हैं।'

● अंकप्रदान पद्धति :

(1) विषय की स्पष्टता	- 30
(2) विषय वैविध्य	- 20
(3) भाषा शैली	- 20
(4) मौलिकता : विचार-कल्पना	- 20
(5) समग्र प्रभाव	- 10
कुल अंक	- 100

6. पोस्टर स्पर्धा

यह स्पर्धा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाएगी।

1. पोस्टर कम्प्यूटर में बनाने होंगे। इस हेतु फोटोशॉप, कोरल ड्रो अथवा कोई भी सॉफ्टवेयर उपयोग में ले सकते है।
2. यह व्यक्तिगत स्पर्धा है। स्पर्धक को स्वयं पोस्टर बनाने होंगे।
3. पोस्टर की साईज 12 × 18 ईंच (A3) रखनी है।
4. **पोस्टर के विषय के संबंध में :** वचनामृत को समझने तथा पढ़ने की प्रेरणा मिले इस को ध्यान में रखकर पोस्टर बनाएँ मतलब पोस्टर का विषय 'वचनामृत महिमा', 'वचनामृत विशेषता', 'वचनामृत की उपयोगिता' इस प्रकार का कोई भी विषय पसंद कर सकते हैं।
5. पोस्टर में कोई एक टैग लाईन लिखनी होगी।
6. पोस्टर में अंग्रेजी, हिन्दी अथवा गुजराती तीनों भाषाओं में से किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते है।
7. एडवर्टाईजमेन्ट में से सीधे स्लोगन अथवा वाक्यों को पोस्टर में प्रयुक्त कर सकते नहीं है। वचनामृत के किसी भी वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। महापुरुषों अथवा महानुभावों द्वारा वचनामृत के संबंध में कहे गए महिमा वाक्यों का उपयोग कर सकते हैं।
8. वचनामृत के गौरव के अनुरुप हो ऐसी इमेज-डिजाईन-ले-आउट का उपयोग करें।
9. इस स्पर्धा में पोस्टर में प्रदर्शित विषय की प्रस्तुति कितनी अर्थ पूर्ण है, इसके साथ आर्ट वर्क, डिजाईन वर्क के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे।
10. दि. 30, अप्रैल 2019 तक स्पर्धक को पोस्टर बनाकर उसकी JPG फाईल सत्संग प्रवृत्ति मध्यस्थ कार्यालय में ईमेईल (spco@in.baps.org) द्वारा या गूगल फोर्म द्वारा भेजनी होगी। विलंब से आए पोस्टर स्पर्धा में से बाहर कर दिए जाएंगे।
11. स्पर्धक को स्वयं का नाम, मंडल, क्षेत्र एवं स्वयं का मोबाईल नंबर की जानकारी पोस्टर के साथ लिखकर भेजनी होगी।
12. मध्यस्थ कार्यालय द्वारा पोस्टर की जॉच के उपरांत अखिल भारतीय अधिवेशन हेतु स्पर्धक को चूना जाएगा। अखिल भारतीय अधिवेशन हेतु चुने गए स्पर्धक को अधिवेशन स्थल पर बुलाया जाएगा। वहाँ पर निर्णयाकों द्वारा पोस्टर की थीम,

डिजाईन, लेआउट तथा सोफ्टवेयर के संबंध में स्पर्धक से मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बाद विजेता चुना जाएगा।

7. नाटक स्पर्धा

1. इस स्पर्धा में वचनामृत के उपदेश के संदेश को प्रस्तुतकर्ता, नाटक लिखना है तथा स्पर्धा के समय उसे प्रस्तुत करना है।
2. इस स्पर्धा में कोई भी मंडल/क्षेत्र के युवक/युवतियाँ टीम बनाकर भाग ले सकते है, जिस में एक युवक/युवति जो लीडर होंगे, उसे स्पर्धा का आवेदन पत्र भरना है।
3. समग्र वचनामृत में से कोई भी उपदेश वचन को लेकर संवाद तैयार कर सकते हैं, कैसे उपदेश वचन और मुद्दे ले सकते हैं, इसके उदाहरण परिशिष्ट–1 में दिये गये है।
4. संवाद की समय मर्यादा 10 मिनट रहेगी।
5. संवाद का लेखन सत्संगी युवकों/ युवतियों द्वारा करना होगा। आवश्यकता अनुसार मात्र संवाद की रुपरेखा विचारने के लिए संतो/हरिभक्तों/गुणभावियों का मार्गदर्शन ले सकते हैं।
6. वचनामृत के जिस उपदेश वचन को स्क्रिप्ट लिखने के लिए पसंद किया हो, उस उपदेश वचन की स्क्रिप्ट में किसी भी प्रकार से उल्लेख करना अनिवार्य है अथवा पूरी स्क्रिप्ट उस उपदेश वचन को मध्यवर्ती विचार के रुप में रखकर लिख सकते हैं।
7. एक युवक अथवा युवकों की टीम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जिन क्षेत्र में से स्पर्धा में भाग लिया हो उसी क्षेत्र के सत्संगी युवक/युवकों की टीम अथवा उस क्षेत्र के संत निर्देशक नीचे आनेवाली अन्य क्षेत्रों में से कोई भी सत्संगी युवक/युवकों की टीम उस स्क्रिप्ट का लेखन कर सकती है।
8. जिस क्षेत्र में से स्पर्धा में भाग लेना हो उस क्षेत्र के सत्संगी युवकों को संवाद में पात्र के रुप में अभिनय कर सकते है।
9. संवाद में अभिनय करनेवाले प्रत्येक युवक अधिवेशन का स्पर्धक माना जाएगा। अर्थात् प्रत्येक अभिनय कर्ता ने लघुत्तम मुखपाठ किया होगा, तभी वह नाटक पुरस्कार के योग्य होगा।
10. संवाद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 पात्र रख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा पात्र रखने की जरुरत पड़े तो अन्य स्पर्धा में भाग लिए हो ऐसे अपने मंडल/क्षेत्र के युवकों को उपयोग कर सकते हैं।
11. संवाद के डायरेक्शन को डायरेक्शन के उपयोग के लिए रख सकते नहीं है।

12. संवाद प्रि-रिकॉर्डिंग करना हो तो कर सकते हैं तथा बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए प्रोफेशनल व्यक्तियों की मदद ले सकते हैं। अलग उसका शुल्क देना हो तो संत निर्देशक अथवा कोठारी स्वामी की अनुमति अवश्य लें।
13. अगर संवाद लाइव डायलॉग बोलकर करना हो तो डायलॉग बोलनेवाले पात्रों को माईक दिया जाएगा।
14. संवाद करने के लिए सामान्य प्रोपर्टीज तथा बैकग्राउंड सेट का उपयोग कर सकते हैं परंतु यह ख्याल रखें कि, प्रोपर्टी तथा सेट सरलता से लगा सके तथा वाईंडअप कर सके, ऐसे होने चाहिए।
15. संवाद की स्क्रिप्ट लिखकर तारीख 28 फरवरी 2019 तक मध्यस्थ कार्यालय में भेज दें। मध्यस्थ कार्यालय की अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।
16. एक बार अनुमति मिल जाए तो स्क्रिप्ट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकेंगे।
17. फाईनल स्क्रिप्ट की एक कॉपी मध्यस्थ कार्यालय में जमा करानी होगी।

- **गुणप्रदान पद्धति :**

(1) विषय वस्तु और प्लोट	– 20
(2) डायलॉग लेखन	– 20
(3) अभिनय	– 20
(4) डिरेक्शन	– 20
(5) समय मर्यादा	– 10
(6) समग्र असर	– 10
100 मार्कस	

- **नोट :** लाईव डायलॉग करेंगे तो अभिनय में डायलॉग डिलीवरी भी मानी जाएगी।

8. विडियो शो अथवा शोर्टफिल्म मेकिंग स्पर्धा

यह दोनों स्पर्धा अखिल भारतीय स्तर पर होगी।

(8.1) विडियो शो स्पर्धा :

1. इस स्पर्धा में वचनामृत पर आधारित एक विडियो शो बनाना है।
2. विडियो शो स्पर्धा में क्षेत्र का कोई एक युवक/युवती स्वतंत्र रुप से भाग ले सकता है। अथवा कोई भी मंडल/क्षेत्र का युवक/युवतीयों की टीम बना कर भाग ले सकते है। जिसमें एक युवक/युवती लीडर होंगे, जिनको स्पर्धा का आवेदन पत्र भरना होगा।
3. कोई भी स्पर्धक विडियो शो अथवा शोर्टफिल्म मेकींग इन दो स्पर्धा में से किसी एक ही स्पर्धा में भाग ले सकते है। परंतु उन क्षेत्र/ मंडल के अन्य युवक/युवतियाँ जिन्होंने विडियो शो में भाग लिया हो तो उनके अलावा के युवक/युवतियाँ शोर्ट फिल्म मेकींग में भाग ले सकते है।
4. विडियो शो की समय मर्यादा 5 मिनट की रहेगी।
5. नीचे दिए गए मुद्दों में से कोई भी एक मुद्दे पर मध्यवर्ती विचार को पसंद करके उसके आधार पर विडियो शो बनाना होगा।

   (A) वचनामृत का परिचय (उद्‌बोधक, सम्पादक, आदि...)

   (B) वचनामृत की महिमा समझाने वाले मुद्दे जैसे कि...

   (1) वचनामृत सभी शास्त्रों का सारभूत हैं।

   (2) वचनाम की अद्वितीयता

   (3) वचनामृत की प्रमाणभूतता

   (4) वचनामृत की जीवन में उपयोगिता

   (5) साधना मार्ग का पथदर्शक – 'वचनामृत'

   (6) वचनामृत ग्रंथ की अन्य विशेषताएँ... आदि...

   (C) वचनामृत के उपदेशो में से कोई विषय जैसे कुसंग, सत्पुरुष की महिमा आदि।

6. वीडियो शो सम्पूर्ण रुप से सत्संगी युवको/युवतियों द्वारा ही तैयार होना चाहिए। मतलब की थीम, डिजाईन, स्क्रिप्ट लेखन, ग्राफिक्स, विडियो ग्राफी, विडियो एडिटिंग आदि सत्संगी युवको/युवतियों द्वारा करायी होनी चाहिए।

आवश्यकता अनुसार मात्र विडियो शो की भूमिका विचारने के लिए पूज्य संतो/हरिभक्तों/गुणभावियों का मार्गदर्शन ले सकते हैं।

7. जिस क्षेत्र में से स्पर्धा में भाग लिया हो उस क्षेत्र के कोई सत्संगी युवक/युवतियों की टीम अथवा उस क्षेत्र के संत निर्देशक के अन्य क्षेत्र में से कोई भी सत्संगी युवक/युवतियों की टीम द्वारा विडियो तैयार होनी चाहिए।
8. संस्था द्वारा प्रकाशित हुई वीसीडी/डीवीडी में से वीडियो क्लीप ले सकते हैं। परंतु पूरा विडियो शो उन प्रकाशित वीसीडी/डीवीडी में से कोपी किया होगा तो उसे स्पर्धा में से हटा दिया जायेगा। अन्य किसी के द्वारा तैयार की गयी विडियो शो भी सीधे नहीं ले सकते हैं। उसमें से छोटी क्लिप ले सकते हैं।
9. वीडियो शो में अपनी सांप्रदायिक स्त्री–पुरुष मर्यादा के अनुसार ही विडियो क्लिप, चित्र, शब्दों, डायलॉग तथा गीत–म्यूझिक का उपयोग करें।
10. कोई भी फिल्म, सिरिअल के दृश्य या म्यूजिक गीत आदि विडियो शो में उपयोग नहीं कर सकते है।
11. वचनामृत के जिस उपदेश वचन को विडियो शो के लिए पसंद किया हो उस उपदेश वचन का विडियो में किसी भी प्रकार से उल्लेख करना अनिवार्य है। अथवा तो समग्र विडियो शो मध्यवर्ती विचार को लेकर बनाए।
12. वीडियो शो का योग्य 'टाईटल' भी अवश्य होना चाहिए।
13. इस बात का खास ध्यान रखना की विडियो शो संस्था के सिद्धांत के विरुद्ध न हो, किसी अन्य धर्म या संप्रदायों का खंडन ना हो।
14. विडियो शो के स्क्रिप्ट लिखकर दिनांक 28 फरवरी 2019 तक मध्यस्थ कार्यालय में भेजनी होगी। मध्यस्थ कार्यालय के द्वारा अनुमति आने के बाद आगे की कार्यवाही करें।
15. एक बार मंजूर हो गयी स्क्रिप्ट में किसी प्रकार का फेरफार कर सकते नहीं है।
16. फाईनल स्क्रिप्ट की एक कॉपी मध्यस्थ कार्यालय में जमा करवानी होगी।
17. वीडियो शो में शुटींग करना पडे तो इसके लिए जरुरी साधन, जैसे की कैमरा, लेंस, लाईट, प्रॉपर्टीज आदि संभव हो सके तो किराये से न लाकर सेवा में मिल जाए ऐसा आयोजन करें। (अगर सेवा में प्राप्त ना हो सकें) तो संत निर्देशक और कोठारी स्वामी की आज्ञा लेकर आगे बढ़े।
18. वीडियो शो को तैयार करने के लिए जो भी खर्च हो वह खर्च संत निर्देशक और

कोठारी संत के अनुमति के बाद ही करें।

19. 30 अप्रैल 2019 तक विडियो शो तैयार करके सत्संग प्रवृत्ति मध्यस्थ कार्यालय को Full HD (1920 x 1080) रीझोल्युशनवाली Mp4 फाईल भेजनी हैं। देर से आने वाली विडियो को स्पर्धा से हटा दिया जाएगा।
20. मध्यस्थ कार्यालय द्वारा विडियो की जॉच करने के बाद अखिल भारतीय अधिवेशन के लिए विडियो शो को पसंद किया जायेगा। पसंद होनेवाले विडियो शो को अखिल भारतीय अधिवेशन में जजों की पैनल समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
21. जिस टीम ने विडियो शो बनाया हैं उसके लीडर को मुखपाठ और प्रश्नोत्तरी स्पर्धा में ईनाम की पात्रता के लिए निश्चित किया गया लघुत्तम परिणाम प्राप्त किया हो तो वह विडियो शो ईनाम के लिए अधिकृत होगा।
22. जो विडियो शो इनाम के लिए पसंद किये गए हैं उसको तैयार करने वाले युवको/युवतियों को ईनाम वितरण दिन के दिन अखिल भारतीय अधिवेशन के स्थान पर आना होगा। उनको दो दिन पहले जानकारी दे दी जायेगी।
23. अखिल भारतीय अधिवेशन पूरा ना हो तब तक स्पर्धा वाली विडियो शो अन्य किसी भी स्थान पर (जैसे की सभा, उत्सव आदि में) नहीं दिखा सकते है।

- **अंकप्रदान पद्धति :**

विषयवस्तु और थीम	– 30
विजुअल्स	– 20
साउंड–म्यूजिक	– 20
टेकनिकल	– 10
समग्र असर	– 10
समय मर्यादा	– 10
कुल अंक	– 100

- **अंकप्रदान पद्धति :** विजुअल्स में पसंद किये गए दृश्य, टाईपोग्राफी, फ्रेम, कम्पोजीशन, ग्राफिक्स, मोशन इफेक्ट आदि के आधार पर गुण प्रदान होते हैं। साउंड म्यूजिक में पसंद किये गये म्यूजिक की लय, असरकारता, विजुअल्स के साथ म्यूजिक की सिंक्रोनाईजेसन और टेक्निकल बातों में कलर बैलेन्स, ब्राईटनेस और कंट्रास्ट, इमेज और फुटेज क्वालिटी तथा एक्जेक्ट रेसियो, ऑडियो क्वोलिटी तथा बैलेंस के आधार पर गुण प्रदान होते हैं।

(8.2) शोर्टफिल्म मेकिंग स्पर्धा :

1) **इस स्पर्धा में वचनामृत का उपदेश या सन्देश को प्रस्तुत करती शोर्ट फिल्म बनाकर प्रस्तुत करनी है।**
2) **इस स्पर्धा में किसी भी मंडल/क्षेत्र के युवक/युवतियाँ टीम बनाकर हिस्सा ले सकते है। उसमें से एक युवक/युवती लीडर को स्पर्धा का आवेदन पत्र देना होगा।** परंतु उन क्षेत्र/ मंडल के अन्य युवक/युवतियाँ जिन्होंने शोर्ट फिल्म मेकींग में भाग लिया हो तो उनके अलावा के युवक/युवतियाँ विडियो शो में भाग ले सकते है।
3) **समग्र वचनामृत में से किसी भी उपदेश वचन या मुद्दा लेकर शोर्ट फिल्म तैयार कर सकते हैं। कैसे उपदेश वचन या मुद्दे लें सकेंगे उसके उदाहरण परिशिष्ट में दिए हैं।**
4) **शोर्ट फिल्म की समय मर्यादा 5 मिनट ही रहेगी।**
5) **वचामृत के जिस उपदेश वचन या मुद्दे को लेकर शोर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं उस उपदेश वचन या मुद्दे के अनुरुप वचनामृत के क्वोटेशन या स्क्रिप्ट में सन्दर्भ आना अनिवार्य है। अथवा तो उसे समग्र स्क्रिप्ट के मध्यवर्ती विचार के रुप में रखकर स्क्रिप्ट लिखें।**
6) **शोर्टफिल्म को कोई टाईटल अवश्य दें।**
7) **शोर्ट फिल्म संपूर्ण रुप से सत्संगी युवक/युवतियाँ द्वारा ही तैयारी होनी चाहिए। अर्थात् लेखन, अभिनय, डिरेक्सन, विडियोग्राफी, विडियोग्राफी, विडियो एडिटिंग इत्यादि सत्संगी युवक/युवतियाँ के द्वारा होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार शोर्ट फिल्म का प्लाट प्रारुप के विषय में विचार करने के लिए संतो/ हरिभक्तों/गुणभावियों का मार्गदर्शन ले सकते है।**
8) **शोर्ट फिल्म में ओडियो डबिंग अथवा म्यूजिक के लिए प्रोफेशनल व्यक्तियों की सहायता ले सकते हैं। यदि इसमें पैसों का खर्च करना हो तो, पहले पूज्य संत निर्देशक तथा पूज्य कोठारी स्वामी की अनुमति अवश्य प्राप्त करें।**
9) **जिस क्षेत्र में से भाग लिया हो उस क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र के संत निर्देशक के विभाग के अन्य क्षेत्र में से भी सत्संगी युवक/युवतियाँ की टीम शोर्ट फिल्म तैयार**

कर सकेगी।

10) शोर्टफिल्म की स्क्रिप्ट लिखकर दि. 28 फरवरी 2019 तक मध्यस्थ कार्यालय में भेज दें। मध्यस्थ कार्यालय की अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्यवाही कर सकेंगे।

11) एकबार अनुमति प्राप्त की हुई स्क्रिप्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकेंगे।

12) फाईनल स्क्रिप्ट की एक कोपी मध्यस्थ कार्यालय में जमा करवाएँ।

13) शोर्ट फिल्म की शूटिंग करने के लिए आवश्यक साधन जैसे की कैमरा, लेंस, लाईट्स, प्रोपर्टीज आदि संभव हो तो सेवा में ही प्राप्त करें। अगर सेवा में ना मिलें और खर्च करना ही पड़े तो पूज्य संत निर्देशक तथा पूज्य कोठारी स्वामी की अनुमति अवश्य प्राप्त करें। बाद में ही आगे बढ़े।

14) शोर्ट फिल्म में आप चाहे जितने पात्र ले सकेंगे परंतु युवकों द्वारा होने वाली फिल्म में केवल पुरुष ही पात्र रख सकेंगे और युवतियाँ द्वारा निर्मित शोर्ट फिल्म में केवल महिला पात्र ही होने चाहिए।

15) पात्र के रुप में युवक/बालक या बड़े को लेना हो तो वे सत्संगी होने आवश्यक है।

16) एक बात को खास लक्ष्य में रखें की शोर्ट फिल्म में संस्था या सिद्धांत विरुद्ध कुछ भी नहीं होना चाहिए, अन्य किसी भी धर्म या संप्रदाय का खंडन भी नहीं होना चाहिए।

17) शोर्टफिल्म में किसी भी प्रकार का खर्च पूज्य संत निर्देशक तथा पूज्य कोठारी स्वामी की अनुमति के बाद ही करें।

18) 30 अप्रैल 2019 तक शोर्ट फिल्म तैयार करके सत्संग प्रवृत्ति मध्यस्थ कार्यालय को Full HD (1920 x 1080) रिजोल्युशन की Mp4 फाईल भेज दें। देरी से आनेवाली फिल्म स्पर्धा से बाहर हो जाएगी।

19) मध्यस्थ कार्यालय से शोर्ट फिल्म की जांच करने के बाद अखिल भारतीय अधिवेशन के लिए शोर्ट फिल्म पसंद की जाएगी। पसंदगी प्राप्त शोर्ट फिल्म को अखिल भारतीय अधिवेशन में निर्णायकों की पेनल समक्ष प्रस्तुति की जाएगी।

20) शोर्ट फिल्म बनानेवाली टीम के लीडर ने मुखपाठ स्पर्धा एवं प्रश्नोत्तरी स्पर्धा में तय किये गए लघुत्तम अंक प्राप्त किये होंगे, तो ही वह शोर्ट फिल्म को तैयार करने वाले युवक/ युवतियों को इनाम वितरण के दिन अखिल भारतीय अधिवेशन स्थल पर आना होगा। उनको दो दिन पहले बता दिया जायेगा।

21) जो शोर्ट फिल्म इनाम के लिए पसंद की जाएगी। उसको तैयार करने वाले युवकों/युवतियों को इनाम वितरण के दिन अखिल भारतीय अधिवेशन के स्थल पर आना होगा। उनको दो दिन पहले जानकारी दे दी जायेगी।

22) अखिल भारतीय अधिवेशन की समाप्ति तक स्पर्धा के लिए तैयार की गयी शोर्ट फिल्म को अन्य जगह पर (सभा, उत्सव, इत्यादि...) में प्रदर्शित नहीं कर सकेंगे।

- **अंकप्रदान पद्धति :**

(1) विषय-वस्तु और प्लाट	- 20
(2) डाईलॉग लेखन	- 20
(3) अभिनय	- 20
(4) डायरेक्शन (सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीनप्ले आदि)	- 20
(5) टाईटल	- 05
(6) समय मर्यादा	- 05
(7) समग्र असर	- 10
कुल अंक	- 100

- **सुचना :** विडियो शो, शोर्ट फिल्म तथा नाटक के लिए पूज्य संत निर्देशक तथा युवा निर्देशक के साथ चर्चा-विचार करें और तय करें की क्षेत्र में से कितने संवाद, विडियो शो, और शोर्ट फिल्म तैयार करेंगे। और कौन-सी स्पर्धा में कौन प्रतिभागी होगा? कितना खर्चा होगा? खर्चे की व्यवस्था कैसे करेंगे। इत्यादि...अर्थात् उपरोक्त स्पर्धा का सम्पूर्ण आयोजन संत निर्देशक तथा युवा निर्देशक के मार्ग दर्शन के अनुसार करें।

- **परिशिष्ट-1 संवाद तथा शोर्टफिल्म के लिए सूचित वचनामृत के आदेश वचन :**

(1) **दु:ख में खुशी : गढडा प्रथम-61 :** जैसे-जैसे भगवान हमें..... भांति पीछे नहीं हटना चाहिए।

(2) **गढडा अंत्य-12 :** जिसने भगवान और भगवान के भक्त का अनुकरण किया हो, उसके साथ स्नेह रखनेवाला अथवा उसकी बात सुनने वाला भी भगवान से विमुख-सा हो जाता है।

(3) **लोया-3 :** जिसे भगवान एवं संत का माहत्म्य ज्ञान सहित निश्चय हो गया हो, वह भगवान तथा सन्त के लिए क्या नहीं कर सकता ? उनके लिए वह कुटुम्ब का त्याग करे, लोकलज्जा का त्याग करे, राज्य का त्याग करे, धन का त्याग करे, स्त्री का त्याग करे, और स्त्री हो तो वह पुरुष का त्याग करे।

(4) **गढडा प्रथम - 70 :** भगवान का निश्चय करना, वह केवल..... भगवान सम्बन्ध निश्चय कम हो जाता है।

(5) **गढडा प्रथम-34 :** किन्तु जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको जितना दु:ख.... कारण ही जाता है।

(6) **गढडा प्रथम-16 :** जिसके कारण स्वयं को बंधन हो..... उसके बंधन में ना फसें।

(7) **गढडा प्रथम-18 :** और यह जीव जैसी संगति कर्ता है, वैसा ही उसका अंत:करण हो जाता है।

(8) **गढडा मध्य-41 :** जिसे परमेश्वर को भजना हो..... सेवा नहीं करनी चाहिए।

(9) **सारंगपुर-2 :** स्नेह तो रुप से होता है,.... वह तो अंत तक नहीं रहता है।

(10) **गढडा प्रथम-8 :** जो इन्द्रियों की वृत्तियों को..... उसका अंत:करण भ्रष्ट हो जाता है।

(11) **गढडा प्रथम-28 :** अभाव-अवगुण लेने वाला अर्ध दग्ध काष्ठ की भांति...।

(12) **गढडा अंत्य-2 :** परोक्ष देवों में जीव को जो प्रतीति है,..... उसको प्राप्त हो जाते है।

(13) **गढडा मध्य-57 :** जो शूरवीर है..... कायरता नहीं रखनी चाहिए।

(14) **गढडा मध्य-8 :** अपने पति के सम्बन्ध में..... उससे दबना नहीं चाहिए।

● ● ● ● ●

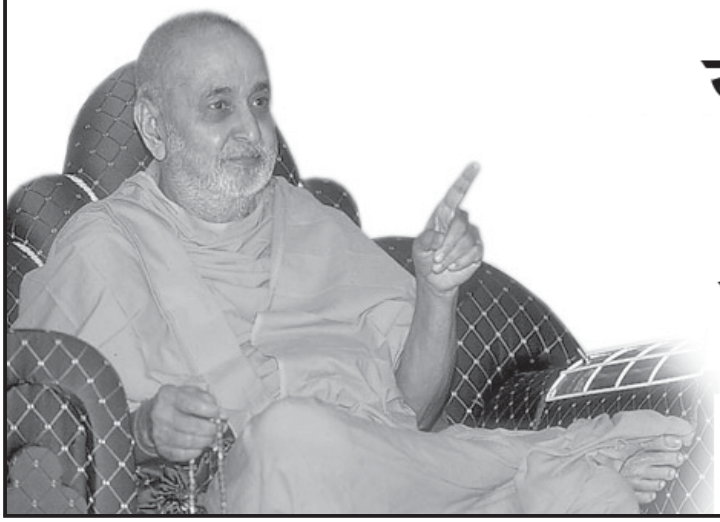

युवा अधिवेशन के लिए स्वामीबापा के प्रेरणावचन

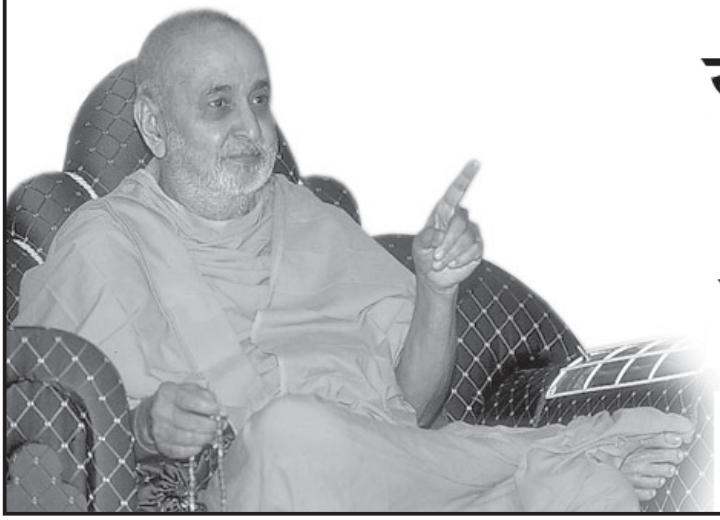

युवा अधिवेशन के लिए स्वामीबापा के प्रेरणावचन

योगीजी महाराज युवकों को युवा अधिवेशन के लिए बहुत प्रोत्साहित करते थे। आप सभी युवकों सत्संग में आते है तो आप को सत्संग ज्ञान होना आवश्यक है। इस हेतु से ऐसे अधिवेशन का आयोजन होता है, इसलिए जो भी स्पर्धाए है उस सभी की तैयारी ठीक से करें। योगीजी महाराज को मुखपाठ बहुत पसंद था तो उसकी तैयारी भी विशेष करे। जितनी नियमितता होगी उतना काम होगा। आलस छोड़कर पुरुषार्थ करने लगो। रोज निश्चित समय इसके लिए निकालेंगे तो तैयारी अच्छी होगी। सभी युवकों को बल प्राप्त हो ऐसी महाराज, स्वामी, शास्त्रीजी महाराज और योगीजी महाराज को प्रार्थना।

शास्त्री नारायणस्वरुपदास के
आशीर्वाद सह जय स्वामिनारायण